


कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 () लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो./ 2011-12/ 1992 दिनांक 03/02/12

आदेश

राज्य सरकार के आदेशानुसार देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना अन्तर्गत, राजस्थान मूल की विशेष पिछड़े वर्ग [(1 बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. रायका, रैबारी, (देवासी)] की छात्राएं जो राजकीय महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत हैं, संलग्न सूची (द्वितीय) के अनुसार 240 (दो सौ चालीस) छात्राओं को वर्ष 2011-12 के लिये स्कूटी स्वीकृत की जाती है।

जिन छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत की गयी है, उन्हें इस सत्र 2011-12 के लिये अन्य कोई छात्रवृत्ति या आर्थिक सहायता देय नहीं है।



निदेशक

कॉलेज शिक्षा विभाग राज.
जयपुर

क्रमांक एफ 23 () लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो./ 2011-12/ 1993-2005 दिनांक 03/02/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
4. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
6. लेखाधिकारी उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग सचिवालय, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी/छात्रवृत्ति) निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
8. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
9. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
10. नोडल अधिकारी, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना निदेशालय, जयपुर।
11. स्टोर प्रभारी/ स्टोर कीपर कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
12. श्री देवर्षी जी विभाग की वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)
कॉलेज शिक्षा विभाग राज.जयपुर